न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी – अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या – 87/2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान – 1. सूरजभान पुत्र तीखाराम

2. सज्जन पुत्र सूरजभान

3 संजय पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम जोनायचा खुर्द तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:——अपीलांटस/प्रतिवादीगण

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र काना

2 दाताराम पुत्र जैना ———— मृतक

2/1 ब्रहम्मा देवी पत्नि स्व0 दाताराम

2/2 सतपाल पुत्र स्व0 दाताराम

2/3 विजेन्द्र पुत्र दाताराम

3 वुधराम पुत्र जैना

4 महावीर पुत्र जैना जाति अहीर निवासी ग्राम जोनायचा खुर्द तहसील नीगराणा जिला अलवर राजस्थान

:———वादीगण रेस्पो0

5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीगराना जिला अलवर

:———प्रतिवादी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी, नीगराना दिनांक 25.2.2019

————————————————————

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित	:-	1.	वकील अपीलांट	:- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता
		2.	वकील रेस्पो0रा0 1, 3, 4	:- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 8.10.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2015 (349/13) अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019, जिसके द्वारा उक्त वाद डिक्री किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 998 रकवा 12 एयर वाके ग्राम जोनायचा खुर्द तहसील नीमराना राजस्व रेकार्ड में 1/8 भाग की खातेदारी वादी संख्या 01 व 1/8 भाग की खातेदारी वादी संख्या 2 व 3 के पिता जैना पुत्र मान तथा शेष 3/4 भाग की खातेदारी अन्य सह खातेदार के नाम दर्ज है, लेकिन पारिवारिक बाहमी बंटवारा के अनुसार उक्त आराजी के 1/2 भाग वादी संख्या 01 के हिस्से में तथा 1/2 भाग वादी संख्या 2 ला0 4 के पिता जैना के हिस्से में आया हुआ है । वादीगण बाहर सर्विस करते थे । इसी दौरान प्रतिवादीगण ने पीछे से उक्त आराजी खसरा नम्बर 998 रकबा 12 एयर पर कब्जा कर लिया । जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 25.2.2019 द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय की हमको कोई जानकारी नहीं थी । हम तहत अदालत में उपस्थित नहीं थे । वादी रेस्पो0 द्वारा अदालत श्रीमान में कैवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ था । उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र के नोटिस हमको प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । अतः निवेदन है कि जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे और अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने आगे तर्क दिये कि तहत अदालत द्वारा जो समन हमारी तामील हेतु जारी किये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गये थे, वे दिनांक 6.3.2014 के लिये जारी किये गये थे, जिसमें तामील कुनिन्दा द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है । पूरण मीणा पुत्र प्रभूदयाल मीणा की गवाही तामील पर कराई गई है । इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम जोनायचा खुर्द में नहीं रहता है । तहत अदालत में उक्त तामील सम्मन प्राप्त होने के बाद भी पत्रावली तलबी में ही चलती रही । इसके बाद प्रकरण सहायक कलेक्टर, बहरोड से स्थानांतरित होकर उपखण्ड अधिकारी, नीमराना के यहां दर्ज हुआ । इसके बाद भी पत्रावली दिनांक 22.12.2014 से दिनांक 4.6.2015 तक पत्रावली तलबी हेतु नियत होती रही । इसके बाद की आदेशिकाओं में वकुलाय फरिकेन उपस्थित का अंकन किया जाता रहा है । जबकि वास्तविकता यह है कि हमारी कोई तामील ही नहीं हुई । गलत तौर पर हमारी तामील मान ली गई और हमारी इकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । प्रतिवादी को सुने बिना पारित किया गया निर्णय विधिसंगत नहीं होता है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 एक ही खानदान के हैं, जिनका वंशवृक्ष अपील मीमो में अंकित हुआ है । मुताबिक सजरा खानदान तिरखा का स्वर्गवास हो गया है, जिसकी विरासत का इंतकाल नम्बर 268 स्वीकार हुआ है । विवादित आराजी में हमने मकान आदि बना रखे हैं । बोरिंग कर रखी है । बिजली कनेक्शन ले रखा है । इस प्रकार सिद्ध है कि विवादित भूमि पर कब्जा वादी रेस्पो0 का नहीं, बल्कि हमारा है । विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 358 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा था, जिसके हाल नम्बर सम्वत 2020 में 948 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा तथा सम्वत 2042 में हाल नम्बर 998 रकबा 12 एयर बने है । विवादित आराजी एवं अन्य आराजीयात पर सम्वत 2010 ला0 2013 खेवट नम्बर 14 व 17 में हमारे पिता तिरखा 1/3 दर 2 बैल हिस्सेदार काश्तकार दर्ज थे । सह काश्तकारान द्वारा आराजीयात का विभाजन काश्त की सुविधा के लिए कर लिया गया था । जिसमें उक्त साबिक खसरा नम्बर 358 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में से 10 बिस्वा रकबा हमारे पिता तिरखा के कब्जे में आया । तिरखा के देहान्त सम्वत 2010 के पश्चात भाई बटवारे में उक्त आराजी का 10 बिस्वा रकबा अपीलांट को प्राप्त हुआ । सम्वत 2010 ला0 2013 की जमाबन्दी के खेवट नम्बर 17 खतौनी नम्बर 132 में काना वगैरा मुन्दर्जे व खेवट नम्बर 14 में 1/3 हिस्सा निस्फ दर्ज और खेवट नम्बर 14 में अपीलांट व अपीलांट के भाईयों का नाम दर्ज है । जिस पर अपीलांट लगातार काबिज काश्तकार है । जिस स्थल का हाल खसरा नम्बर 998 रकबा 12 एयर वाके ग्राम जोनायचा खुर्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

तहसील नीमराना है । इस पर अपीलांट के पिता तिरखा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व एवं लागू होने के दिन काविज काश्तकार था । सम्वत 2020 से पूर्व खसरा नम्बर 358 रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा में से रेस्पो0 के बुजुर्गो के हिस्से में 18 बिस्वा रकवा आया था । सम्वत 2020 में साविक खसरा नम्बर 358 रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता तिरखा को प्राप्त हुई थी तथा रेस्पो0 के बुजुर्गान के हिस्से में 18 बिस्वा भूमि आई थी । परन्तु सम्वत 2020 में रेस्पो0 के हिस्से में जो 18 बिस्वा रकवा आया था, उसका ही नम्बर 948 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कायम कर रेस्पो0 के बुजुर्गान के नाम दर्ज कर दिया गया । जबकि मौके पर तिरखा की विरासत के हिस्सा के अनुसार अपीलांट की खातेदारी 10 बिस्वा पर दर्ज नहीं की । इस प्रकार वंदोवस्त विभाग द्वारा हमारी खातेदारी विलोपित कर दी गई थी । हमने उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 998 रकबा 12 एयर के साथ साथ अन्य आराजीयात खसरा नम्बर 1621, 1040, 533, 728, 715, 76, 1031, 1076, 532, 713, 714, 727, 725, 824, 224/2008, 1001, 1011, 1038, 1042, 1045, 1061, 1062, 1077, 996, 997, 999, 1002, 1003, 1004, 1030, 1059, 1060, 1074, 1075, 1044, 530, 716, 726, 967, 968, जो कि मुश्तर्का खानदान की आराजी है, के सम्बन्ध में उपखंड अधिकारी, नीमराना के न्यायालय में धारा 145 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही कर रखी है । हमने विवादित आराजीयात की बाबत उपखंड अधिकारी, नीमराना के यहां वाद पत्र पेश किया हुआ है, जिसमें तहत अदालत द्वारा अस्थाई निषेंधाज्ञा जारी कर रखी है । परन्तु रेस्पो0 ने समस्त तथ्यों को छिपाते हुये वाद पत्र पेश कर दिया और हमारी गलत तौर पर इकतरफा कार्यवाही करवाकर वाद पत्र डिक्री करा लिया । वादी ने वाद पत्र धारा 183 व 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत पेश किया था, जिसका निर्णय करते समय तहत अदालत ने हमको पुलिस बल द्वारा बेदखल करने का आदेश भी पारित कर दिया । जबकि कानूनन धारा 183 के तहत पारित की गई डिक्री में पुलिस बल को आदेश नहीं दिये जा सकते । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा अपनी बहस के समर्थन में नजीरों 2019 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 702, आर0 आर0 डी0 2014 पेज 268, आर0 आर0 डी0 1965 पेज 242, आर0 आर0 टी0 2003 (1) पेज 678 (उच्च न्यायालय), आर0 आर0 टी0 2002 (2) पेज 867, 2011 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 881, आर0 आर0 टी0 2011 (2) पेज 1337, आर0 आर0 टी0 2015 (2)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पेज 1376, आर0 आर0 डी0 1996 पेज 45, आर0 आर0 टी0 2013 (1) पेज 226, आर0 आर0 टी0 2018–19 (राप्लीमेंटरी) पेज 505, आर0 आर0 टी0 2013 पेज 391 का हवाला दिया ।

4 जवाव में विद्वान वकील संख्या 1, 3, 4 का कथन है कि अपीलांट प्रतिवादी को तहत अदालत द्वारा नोटिस जारी किये गये थे । इनकी तामील हो चुकी थी । जब एक बार में ही तामील हो चुकी थी तो पुनः तामील नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है । ये जानबूझकर तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये थे । इसलिये सही तौर पर इनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई थी । विवादित आराजी हमारे कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । हम वाहर सर्विस करते है । पीछे से प्रतिवादीगण अपीलांटस ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया । उस कब्जे को छुडाने के लिये हमने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र पेश किया, जो सही तौर पर डिक्री किया गया है । अपील सारहीन है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय वहस तर्को पर गौर किया । सर्वप्रथम तामील के बिन्दू पर गौर किया । इस सम्वन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न समनों का अवलोकन किया । प्रतिवादी अपीलांट सूरजभान को जारी नोटिस की प्रति पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि सूरजभान ने तामील लेने से मना किया । इस नोटिस पर गवाह पूरण चन्द मीणा की गवाही करवाई गई है । इसी प्रकार अन्य प्रतिवादीगण ने भी समन लेने से मना कर दिया था । उनके समनों पर भी गवाह पूरण चन्द मीणा की गवाही करवाई गई है । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलांटस की सम्यक रूप से तामील हो चुकी थी । इसलिये अपीलांटस की ये आपत्ति खारिज की जाती है कि उनकी सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी ।

6 जहां तक प्रकरण के गुणावगुण के बिन्दू का प्रश्न है तो इस सम्वन्ध में हमने पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया । जमावन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श–2 में विवादित हाल खसरा नम्बर 998 रकवा 12 एयर पर वादीगण एवं अन्य लोगों की सह खातेदारी दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 प्रदर्श–3 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 998 साबिक खसरा नम्बर 948 मिन से बनाया गया है । जमाबन्दी सम्वत 2020 प्रदर्श–2 में साबिक खसरा नम्बर 948 पर काना, जैना 1/4, गणेशी, रामस्वरूप 1/4, घासी, रामसिंह के नाम का अंकन है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

7 उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से सिद्ध है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर वादीगण असल रेस्पो0 की खातेदारी दर्ज है तथा साबिक रेकार्ड सम्वत 2020 की जमाबन्दी में विवादित भूमि वादीगण असल रेस्पो0 के बुजुर्ग काना व जैना के नाम दर्ज थी । वादीगण असल रेस्पो0 ने अपनी खातेदारी की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण असल रेस्पो0 द्वारा कब्जा करना बताया है । जो कब्जा वादीगण असल रेस्पो0 को वापिस लेने का अधिकार है । तहत अदालत सही तौर पर वादीगण असल रेस्पो0 का वाद पत्र डिक्री किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.2019 यथावत रखे जाते हैं ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

8/10/2021

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :— अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :— 87 / 2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :— 1. सूरजभान पुत्र तोखाराम

2. सज्जन पुत्र सूरजभान

3 संजय पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम जोनायचा खुर्द तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:———अपीलांटस / प्रतिवादीगण

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र काना

2 दाताराम पुत्र जैना ———————— मृतक

2 / 1 ब्रहम्मा देवी पत्नि स्व0 दाताराम

2 / 2 सतपाल पुत्र स्व0 दाताराम

2 / 3 बिजेन्द्र पुत्र दाताराम

3 बुधराम पुत्र जैना

4 महावीर पुत्र जैना जाति अहीर निवासी ग्राम जोनायचा खुर्द तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:————वादीगण रेस्पो0

5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

:———प्रतिवादी / रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना दिनांक 25.2.2019

उपस्थित	:–	1.	वकील अपीलांट	:–	श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता
		2.	वकील रेस्पो0सं0 1, 3, 4	:–	श्री रामेश्वर दयाल

पर्चा डिक्री — दिनांक 08.10.21

अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.2019 यथावत रखे जाते हैं ।

8/10/2021

(अशोक कुमार साँखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर